इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 12 जुलाई 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

सीएआईआईबी परीक्षा से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना (**पृष्ठ सं. 8 देखें**)

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
केन्द्रीय बैंकिंग----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
सहकारी बैंक----------5
विदेशी मुद्रा----------5
बीमा----------5
पूंजी बाज़ार----------5
पारस्परिक निधियां----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
संस्थान समाचार----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 8
शब्दावली ----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय स्टेट बैंक ने आधार दर 7.5 % नियत किया तो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने 8 %

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB), इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 8 % की थोड़ी सी उच्चतर दर अपनाए जाने के बावजूद अपनी आधार दर 7.5 % निर्धारित की है। 1ली जुलाई, 2010 से नयी दर ने न्यूनतम मूल उधार दर (BPLR) पर आधारित विद्यमान उधार व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर दिया है।

ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल के अध्यक्ष होंगे श्री दामोदरन

बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने की एक मुहिम में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों और बैंक शुल्कों एवं प्रभारों की जांच करने के लिए एक एक समिति का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली उक्त समिति बैंकों द्वारा पेंशनभोगियों सहित खुदरा और छोटे उधारकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं की जांच करेगी तथा शीघ्रतापूर्वक परिवाद निवारण की व्यवस्था सुझाएगी। वर्ष 2010-11 के अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि ग्राहकों के साथ उचित रूप से व्यवहार किए जाने से सम्बन्धित मुद्दे को अत्यधिक महत्व प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार से सम्बन्धित मुद्दे पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से परिवाद निवारण व्यवस्था के ढांचे और उसकी प्रभावशीलता की जांच करने तथा शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक निराकरण के लिए उपाय सुझाने हेतु दामोदरन समिति का गठन किया गया है। उक्त पैनल इस सम्बन्ध में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का भी परीक्षण करेगा। समिति बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) योजना की संरचना और उसके विधिक ढांचे की भी जांच करेगी तथा उसे अधिक प्रभावी एवं प्रत्युत्तरदायी बनाने के उपायों की सिफ़ारिश करेगी। वह ग्राहक सेवा में बैंकों के निदेशक बोर्डों को और अधिक संलग्न करने के तरीके भी सुझाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन संभाव्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी बेहतर कार्य-निष्पादन दर्शाने और नये कौशल अर्जित करने के लिए शीघ्र ही प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. ए.के. खण्डेलवाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पारिश्रमिक के लिए विद्यमान उच्चतर सीमा की समाप्ति के साथ वेतन पैकेज में 15-20 % के परिवर्ती संघटक की सिफारिश की है। यह उपाय कर्मचारियों को उनके ज्ञान के स्तर एवं कौशलों को निरंतर आधार पर समुन्नत करने के लिए उत्साहित करेगा।

उक्त समिति की सिफ़ारिशों के स्वीकार कर लिए जाने पर प्रत्येक बैंक उसके वेतन ढांचे को उसकी वित्तीय शक्ति के अनुसार निर्धारित करने तथा अत्यधिक कुशल कार्मिकों को बारी के बिना पदोन्नतियों से पुरस्कृत करने हेतु स्वतंत्र होगा। उक्त प्रस्तावों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग उद्योग, जो वित्तीय क्षेत्र के सतत वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण के सिरे पर खड़ा है, में व्यावसायिकता के अधिकाधिक स्तर का संचार करना है।

ईंट-गारे की पुन: वापसी - शीर्ष बैंक विस्तार के मोड में

भारत में बैंक एक बार पुन: विस्तार मोड में आगए हैं और अधिक शाखाएं खोलने में लग गए हैं। इसके नीचे प्रस्तुत सारणी बैंकिंग उद्योग में हुई शाखाओं की संख्या में वृद्धि तथा तालिका बैंक शाखाओं का क्षेत्र-वार वितरण दर्शाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के (उपक्रम) बैंक	**शाखाओं की संख्या**	**वर्ष 2009-10 में वृद्धि**
भारतीय स्टेट बैंक	12,500	1,100
पंजाब नैशनल बैंक	5,000	335
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3,500	42
बैंक ऑफ इंडिया	3,207	186
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,109	155
केनरा बैंक	3,046	314
निजी बैंक	शाखाओं की संख्या	वर्ष 2009-10 में वृद्धि
आईसीआईसीआई बैंक *	2,000	580
एचडीएफसी बैंक	1,725	313
ऐक्सिस बैंक	1,035	200
*आईसीआईसीआई बैंक के आंकड़े मई, 2010 तक के हैं।		

स्रोत : बिजिनेस लाइन

बैंक शाखाओं का क्षेत्र-वार वितरण (जून, 2009 के अंत तक)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
पूर्वी क्षेत्र
दक्षिणी क्षेत्र
पश्चिमी क्षेत्र
उत्तरी क्षेत्र
केन्द्रीय क्षेत्र

स्रोत : बिजिनेस लाइन

भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को रिझाने की रणनीति अपनाई

भारतीय स्टेट बैंक ने अधिक वृद्धि, उन्नत कार्यकुशलता, ग्राहक सेवा की उच्च गुणवत्ता के लिए चुनिंदा शाखाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा उत्तम परंपराओं में साझेदारी करने के एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए उत्कृष्टता के श्रेष्ठ केन्द्र (Super Circle of Excellence) वाली संकल्पना को कार्यान्वित किया है। मार्च, 2010 में उत्कृष्टता के श्रेष्ठ केन्द्र में 661 शाखाएं शामिल थीं, जिनमें से 331 शाखाएं 16 समर्पित उत्कृष्टता के श्रेष्ठ केन्द्र वाले क्षेत्रों में तथा 330 उत्कृष्टता के श्रेष्ठ केन्द्र के समन्वयकर्ता द्वारा सुसाध्यीकृत प्रत्येक क्षेत्र से एक के आधार पर चयनित थीं।

इन शाखाओं का चयन दोहरे ट्रैक दृष्टिकोण, यथा - महानगरों एवं बड़े शहरी केन्द्रों में शाखाओं के एक समूह वाला उप-समुच्चय बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करेगा और प्रत्येक क्षेत्र से एक शाखा के आधार पर चयनित शाखाओं वाले समूह के एक उप-समुच्चय का लक्ष्य उच्च कार्य-निष्पादन करने वाली शाखाओं की उत्तम परंपराओं को देश भर में स्थित अन्य बिक्री केन्द्रों में आरोपित करना होगा। उत्कृष्टता के श्रेष्ठ केन्द्र (Super Circle of Excellence) में समाविष्ट शाखाएं मूल रूप से खुदरा कारबार पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं।

दैनिक ब्याज से बचत खातों की शेष राशि में बढ़ोत्तरी

ऐसा लगता है कि बैंकों को बचत बैंक (SB) खातों पर दैनिक गुणन के आधार पर ब्याज का भुगतान करने से सम्बन्धित निर्देशों से बचत बैंक खातों की शेष राशियों में बढ़ोत्तरी हुई है। कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री जे.एम. गर्ग ने कहा है कि चूंकि सावधि जमाराशियों की दरें अब भी कम हैं, लोगों ने अपनी धनराधि बचत बैंक खातों में रखना जारी रखा है। अब वे 3.5 % की दर से ब्याज पाने के प्रति आश्वस्त हैं, चाहे वे जमाशेष एक दिन के लिए बनाए रखें या फिर 10 दिनों के लिए। इस प्रकार अल्पावधिक जमा की ओर झुकाव की प्रवृत्ति में कमी आई है। बैंक की बचत बैंक जमाराशियों में वर्षानुवर्ष आधार पर 33 % की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

केन्द्रीय बैंकिंग नीतियां एवं बैंकिंग जगत की घटनाएं

अल्पावधिक एनसीडीज का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपये नियत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्पावधिक अर्थात् 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले गैर-प्रत्यावर्तनीय डिबेंचरों (NCDs) के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों - जो 2 अगस्त से प्रभावी होंगे - के अनुसार अल्पावधिक गैर-प्रत्यावर्तनीय डिबेंचरो (NCDs) का न्यूनतम अंकित मूल्य कम से कम 90 दिनों की परिपक्वता अवधि सहित 5 लाख रुपये होना चाहिए। इन अल्पावधिक गैर-प्रत्यावर्तनीय डिबेंचरो (NCDs) से सम्बद्ध किसी भी विक्रय एवं क्रय विकल्प के प्रयोग की तिथि उनके जारी किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर नहीं पड़नी चाहिए। किसी अल्पावधिक गैर-प्रत्यावर्तनीय डिबेंचर के जारीकर्ता के लिए 4 करोड़ रुपये से अधिक की निवल मालियत वाला होना आवश्यक होगा तथा उसके लिए प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग करवाना आवश्यक होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा कोर बैंकिंग प्लेटफार्म की व्यवस्था

वाणिज्यिक बैंकों (CBs) द्वारा उनके समस्त परिचालनों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) प्लेटफार्म पर लाए जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक स्वयं अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफार्म रखने की तैयारी कर रहा है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण बैंक के लिए एक ही प्रधान खाता-बही होगी, जिसमें सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों का समावेश होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफार्म वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकार (राज्य एवं केन्द्रीय) के खातों और ऋण खातों पर भी नज़र रखेगा तथा अपने ग्राहकों को विप्रेषण एवं साख पत्र की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में काउंटर पर किए जाने वाले नकदी लेनदेनों के माध्यम से प्राप्तियों एवं भुगतानों, आवक एवं जावक समाशोधन के भौतिक लिखतों (चेकों, मांग ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों, ब्याज अधिपत्रों), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समााशोधन सेवा/ तत्काल सकल भुगतान - ई-बैंकिंग चैनल और अन्य अंतरराष्ट्रीय भुगतान चैनलों का लेखा रखा जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवेदनों की स्थिति का ऑन-लाइन पता लगाने की सुविधा प्रदान की

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार उसके विविध विभागों को जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का भारतीय रज़र्व बैंक की वेबसाइट पर आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली (ATS) के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इस सुविधा के माध्यम से आवेदक अपने आप को वेबसाइट पर पंजीकृत करा लेने के बाद ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, सम्बन्धित प्रलेखों को संलग्न कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनके

संचलन का पता लगा सकते हैं। हालांकि आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग बैंकिंग लोकपाल योजना के अधीन की गई शिकायतों अथवा किसी अन्य शिकायत का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।

बैंकों के लिए राजनीतिक रूप से उद्भाषित लोगों से व्यवहार करने हेतु अनुमोदन आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से किसी ऐसे विद्यमान ग्राहक के साथ कारोबारी सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए उनके वरिष्ठ प्रबन्धन से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कहा है, जो कालांतर में राजनीतिक रूप से उद्भाषित व्यक्ति (Politically Exposed person) हो गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का साग्रह कथन है कि बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में ग्राहकोचित कर्तव्यपरायणता का पालन करना चाहिए तथा ऐसे ग्राहकों के प्रति, जो राजनीतिक रूप से उद्भासित व्यक्तियों के निकट सम्बन्धी हों और उन खातों पर, जिनका अंतत: लाभान्वित होने वाला मालिक कोई राजनीतिक रूप से उद्भाषित व्यक्ति हो, अधिक ग्राहकोचित कर्तव्यपरायणता मानदंड लागू करना चाहिए। इसप्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी इस नीति पर पुन: बल दिया है कि बैंकों को काले धन को वैध बनाने और आतंकवाद का वित्तीयन करने से बचने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (KYC) कार्यविधि का उपयुक्त रूप से पालन करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर पुन: बल दिया है कि बैंकों को ऐसे खाते नहीं खोलने चाहिए, जिनके सम्बन्ध में वे ग्राहकोचित कर्तव्यपरायणता से सम्बन्धित उपायों को उचित रूप से लागू करने में असमर्थ हों। वास्तव में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वे ऐसे ग्राहकों के खाते, यदि हैं, तो उन्हें बंद कर दें। बैंक के खाता धारक के वास्तविक परिचय से संतुष्ट न होने पर उसे उसके बारे में वित्तीय आसूचना एकक को सूचित करना चाहिए।

बैंक-प्रेरित चल सेवा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के अनुसार चल बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक-प्रेरित मॉडेल को 'सुस्पष्ट अधिमान' प्राप्त है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कि जमा, बीमा, वहनीय ऋण एवं भुगतान प्रणाली तक पहुंच जैसी सुविधाएं केवल बैंक ही प्रदान कर सकते हैं, कहा कि "नवागंतुकों के लिए हम अपने वित्तीय समावेशन को महज एक विप्रेषण सुविधा से कुछ अधिक बनाना चाहते हैं।" काले धन के वैधीकरण और आतंकवाद को वित्तीयन से सम्बन्धित चिंता को ध्यान में रखते हुए बैंक-प्रेरित मॉडेल सर्वदा सुरक्षित एवं स्थिर होता है। उन्होंने कहा कि "चल सेवा प्रदाताओं को मूल्य-योजित सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ सहयोग करना चाहिए।" जबकि वित्तीय समावेशन एक व्यवहार्य कारोबारी मॉडेल हो सकता है, वहीं वर्तमान में देश के 6 लाख निवास-स्थलों के केवल 5% में ही वाणिज्यिक बैंक की सुविधा है।

अनर्जक आस्तियों के उचित समाधान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

अनर्जक आस्तियों (NPAs) के उचित एवं पारदर्शी समझौता समाधान को संभव बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्देश दिया है कि किसी समझौते / एकबारगी समाधान की स्वीकृति देने वाले अधिकारी / प्राधिकारी को को इस आशय का उल्लेख करते हुए कि समझौता समाधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, एक प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। यह दिशानिर्देश विभिन्न क्षेत्रों में तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों द्वारा बैंकों द्वारा समझौता समाधान जिस रीति से किए जा रहे हैं उस पर व्यक्त की जा रही गंभीर चिंता के अनुसरण में आया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कृषि ऋणों को आधार-दर से बाहर रखेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात के प्रति आश्वस्त किया है कि वह कृषि ऋणों को आधार दर की परिधि से बाहर रखेगा; इसप्रकार बैंकों को इन ऋणों को आधार दर से कम ब्याज दरों पर प्रदान करने में समर्थ बनाएगा। वर्तमान में कोई बैंक कृषि क्षेत्र को 7 % पर उधार देने पर अधिकतम 2 % की ब्याजगत आर्थिक सहायता पाने का पात्र होता है। हालांकि आधार दर के 8 % हो जाने पर बैंक कृषि क्षेत्र को 7 % की दर पर उधार देने में समर्थ नहीं होंगे और इसलिए आर्थिक सहायता पाने के पात्र नहीं होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दैनिक विक्रय एवं क्रय विकल्प वाले बॉण्डों पर रोक लगाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दैनिक विक्रय एवं क्रय विकल्प वाले बॉण्डों के जारी किए जाने की परंपरा को समाप्त कर दिया है। कारपोरेट कम्पनियों द्वारा अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार में प्रचलित कम दरों का लाभ उठाने के लिए ये बॉण्ड पारस्परिक निधियों (MFs) को बेच दिए जाते थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी संस्था / कम्पनी 90 दिनों से कम वाले बॉण्ड नहीं जारी कर सकती अथवा 90 दिन के पहले विक्रय या क्रय विकल्प की सुविधा नहीं प्रदान कर सकती। कतिपय कम्पनियां, विशेषत: तेल कम्पनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां विक्रय एवं क्रय विकल्प वाले ऐसे बॉण्ड जारी करती रही हैं, जिनमें उधारकर्ता बॉण्ड की चुकौती कर सकता है और अभिदाता दैनिक आधार पर धनराशि वापस मांग सकता है। इस प्रकार के बॉण्डों पर ब्याज दरें दैनिक आधार पर पुनर्निर्धारित की जाती हैं।

इसके अलावा भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधारकर्ताओं के लिए दो और शर्तें लगा दी हैं। पहली, केवल वही कारपोरेट कम्पनियां ही अल्पावधिक बॉण्ड जारी कर सकती हैं, जिनके खाते मानक खाते- ऐसा खाता जिसमें सभी प्रकार के ऋण उनके बैंकरों द्वारा समय पर चुकता कर दिए गए हों - के रूप में वर्गीकृत किए गए हों। दूसरी - बैंक केवल उन्हीं कारपोरेट कम्पनियों के बॉण्डों में निवेश कर सकते हैं, जिन्हें किसी बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत की गई हों।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

वित्तीय अपवर्जन का आकार

भारत में वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित आंकड़े अब भी हतोत्साहित करने वाले हैं। देश में मौजूद 600,000 गांवों में से केवल 5 % अर्थात् लगभग 30,000 में वाणिज्यिक बैंक की शाखा है। देश भर की केवल लगभग 40 % जनसंख्या के पास बैंक खाते हैं तथा देश के उत्तर-पूर्वी भाग में तो यह अनुपात इससे भी बहुत कम है। किसी प्रकार की जीवन बीमा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात 10 % के जितने न्यून स्तर पर है तथा सामान्य बीमा सुरक्षा प्राप्त लोगों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से 0.6 % तक के स्तर तक कम है। डेबिट कार्ड रखने वाले लोगों में केवल 13% तथा क्रेडिट कार्ड रखने वालों में मात्र 2% लोगों का समावेश है।

बैंकों ने टियर-I पूंजी बढ़ाने के प्रयास तेज किए

इस वर्ष आस्ति सम्बन्धी दबावों में बढ़ोत्तरी की आशा के परिणामस्वरूप बैंकों के एक समूह ने विशेषत: टियर-I पूंजी को सुदृढ़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि, वैसा करते समय, बैंक अपनी सामान्य आरक्षित निधियों को बढ़ाने की संभावना तलाश रहे हैं। टियर-I पूंजी में प्रदत्त (चुकता) इक्विटी और सामान्य आरक्षित निधियां शामिल होती हैं। यद्यपि टियर-I पूंजी में बेमीयादी बॉण्डों को भी शामिल किए जाने की अनुमति है, तथापि इस पद्धति का उपयोग केवल कुछेक बैंक ही कर रहे हैं। बैंकों के लिए अपनी जोखिम पूंजी बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि उनमें से अधिकांश विनियामक पूंजी अपेक्षाओं का पालन कर चुके हैं। वर्तमान विनियामक अपेक्षाओं में जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में 9% के पूंजी अनुपात (6% टियर-I और गौण ऋण निर्गमों के रूप में 3% टियर-II) का निर्धारण है।

विनियामकों के कथन

इर्डा ने बीमे के दूरवर्ती विपणन से सम्बन्धित मानदंड जारी किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा उत्पादों के दूरवर्ती विपणन एवं बिक्री प्रक्रिया के सत्यापन से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का एक एक्सपोजर प्रारूप जारी किया है। तदनुसार, प्रत्येक टेलीफोनकर्ता को बीमाकर्ताओं अथवा दलालों द्वारा या तो आंतरिक रूप से या फिर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में एजेन्टों के लाइसेंस-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण विनियमों, प्रकटनों, कारबार के नीतिपरक संचालन तथा टेलीफोनकर्ताओं के लिए विशिष्ट नियमों से सम्बन्धित विषयों में होगा, जो कम से कम 25 घण्टों की अवधि वाला होगा। टेलीफोनकर्ताओं को सम्बन्धित बीमाकताओं अथवा दलालों द्वारा संचालित प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसके अलावा बीमाकर्ताओं अथवा दलालों को उनके द्वारा टेलीफोन करने हेतु नियोजित किए गए सभी व्यक्तियां का एक रजिस्टर भी रखना होगा।

मौद्रिक नियंत्रण की गति साधारण बनी रहेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नियंत्रण से सम्बन्धित साधारण गति की अपनी नीति पर चलता रहेगा। डॉ. गोकर्ण ने साग्रह कहा कि "जिंसों की कीमतों में कमी परिलक्षित हो रही है तथा मुद्रास्फीति के बारे में अधिक स्पष्टता यह देखने के बाद प्राप्त की जा सकेगी कि देश में मानसून किस प्रकार परक्रमित होता है। सरकारी व्ययों के सम्बन्ध में चलनिधि के प्रणाली में वापस लौटने की आशा है। हमने अपनी गति को साधारण इसलिए रखा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह घरेलू स्थिति से सुसंगत है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी कुछेक अस्तव्यस्तताओं से गुजर रही है। इनमें से किसी भी वातावरण में जब तक कोई नाटकीय परिवर्तन नही होता, तब तक यह नीति जारी रहेगी।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से सम्बन्धित विनियमन कठोर किए

काफी बड़ी संख्या में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रभावी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के एक अभियान के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियां स्वीकार करने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नये अनुमोदनों को अस्वीकृत कर दिया है। जिन्हें पहले से जामाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, उनके सम्बन्ध में पूंजी, चलनिधि एवं उत्तोलन (लीवरेज) सम्बन्धी अपेक्षाओं को अधिक कठोर बना दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरों ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। श्रीमती थोरात ने कहा कि "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने के लिए अंतिम उधारकार्ता से वसूल किए जाने वाली ब्याज दरों के सम्बन्ध में एक सीमा होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों को केवल तभी पोषित किया जा सकता है, जब सुपुर्दगी के मॉडेल व्यवहार्य हों और ब्याज दरों से सम्बन्धित सीमाएं अवरोधक हों। विनियामक दृष्टीकोण से हम बेहतर जागरूकता, ग्राहक शिक्षण और कारगर परिवाद निवारण प्रणालियों की व्यवस्था करते हुए पारदर्शिता पर बल देते हैं।" अधिकाधिक वित्तीय समावेशन की आवश्यकता तथा देश में स्थिरता पर बल देते हुए श्रीमती थोरात ने कहा कि भारत जैसे देश में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणालीं द्वारा उच्च स्तरीय पैठ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन का एक अविच्छिन्न अंग बनाना होगा।

आधार दरों के कारण उधार लागत नहीं बढ़ेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि आधार दर प्रणाली से उधार लेने की प्रभावी लागतों में कारपोरेट लॉबी द्वारा यथाअनुमानित रूप से वृद्धि नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि "इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि कारपोरेट कम्पनियों की निधियों के बहुविध स्रोतों तक पहुंच होती है और इसलिए उधार लेने की प्रभावी दरों का निर्धारण बाज़ार की प्रतिस्पर्धा द्वारा होगा।" उनका यह भी कहना है कि उधार देने की दरों के अविनियमित होने के फलस्वरूप वित्तीय समावेशन को बढ़ावा प्राप्त होगा तथा बैंकों के वित्तीय मध्यस्थीकरण की कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी। "यह उपाय उधारकर्ताओं को अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र से दूर तथा औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के करीब

ले जाएगा तथा ऋणों की पैठ को सुगम बनाएगा। " श्री मोहन्ती ने इस बात का खुलासा किया कि आधार दरें बैंकों की सापेक्ष कार्य-कुशलता और लागत ढांचे को प्रतिबिंबित करेंगी। जबकि उधार देने की दरें समस्यामूलक होती हैं, वह ब्याज दर एवं मौद्रिक प्रेषण के ऋण चैनलों, दोनों ही को सुदृढ़ बनाएगी।

आकार-रहित बैंकिंग भयावह हो सकती है : डॉ. सुब्बाराव

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने बैंकों को यह याद दिलाया है कि प्रौद्योगिकी ईंट और गारे वाली शाखाओं का स्थान नहीं ले सकती; मानवीय स्पर्श का अभाव भयावह हो सकता है। बैंकों और ग्राहकों के बीच उपस्थित होने वाले प्रौद्योगिकीजन्य अवरोध के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता का उपदेश देते हुए तथा बैंकों से यह सुनिश्चित करने हेतु आग्रह करते हुए कि प्रयोक्ता के प्रतिकूल प्रौद्योगिकी अन्तरापृष्ठ के कारण गरीब लोग बैंकिंग से दूर न भगा दिए जाएं, गवर्नर का आग्रहपूर्वक कथन यह था कि बैंकों को अपने अग्रिम पंक्ति (frontline) के कर्मचारियों, प्रबन्धकों तथा कारबार संपर्कियों (BCs) को बैंकिंग के मानवीय पहलुओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना चाहिए।

रुपये की अस्थिरता तात्कालिक चिंता का कारण नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि चीन द्वारा अमरीकी मुद्रा के समक्ष युवान में मूल्यवृद्धि होने देने की पृष्ठभूमि में अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर में तात्कालिक अस्थिरता के बारे में निवेशकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि "प्रतिरक्षण (hedging) के अवसर उपलब्ध होने और तथा उनके अपेक्षाकृत अभिगम्य होने पर हमें अस्थिरता के अल्पकालिक प्रभाव के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नही है।" इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि "इस बिन्दु पर इसके निहितार्थ विनिमय दरों में उतार-चढ़ावों और विभिन्न देशों के बीच पूंजी की आवाजाही से भी सम्बन्धित होते हैं, क्योंकि इस परिवर्तन की निवेशकों पर प्रतिक्रिया होती है।" भारतीय रिज़र्व बैंक चीन की इस मुहिम के, विशेषत: रुपये की विनिमय दर और व्यापार तथा पूंजी प्रवाहों पर होने वाले संभाव्य प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के लिए नये स्थावर संपदा ऋण़ जोखिम मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवासीय और स्थावर संपदा खंड को ऋण प्रदान करने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के मानदंडों को संशोधित कर दिया है। निर्माण सामग्री के दृष्टिबंधक पर छोटे ठेकेदारों को कार्यशील पूंजी ऋण को उन विद्यमान मानदंडों से छूट दी गई है, जो शहरी सहकारी बैंकों को उनकी कुल जमाराशियों के 15% का उपयोग आवासी एवं वाणिज्यिक स्थावर संपदा को ऋण प्रदान करने की सुविधा

प्रदान करते हैं। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त की समग्र सीमा से सम्बन्धित नियमों को परिष्कृत कर दिया है, जिनके अनुसार शहरी सहकारी बैंक आवासीय, स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा (CRE) क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए जमाराशियों के 15% तक का उपयोग कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा विनिमय

अस्थिरता बढ़ जाने के कारण बैंकों ने विदेशी मुद्रा में स्वामित्वपूर्ण व्यापार घटाए

हाल के दिनों में अस्थिरता अत्यधिक बढ़ जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंकों ने विदेशी मुद्रा में स्वामित्वपूर्ण व्यापार कम कर दिया है। कुछेक खज़ाना प्रमुख अपनी बहियों को किसी प्रकार के जोखिम से बचाए रखने के लिए दिन (कारबार) की समाप्ति पर अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को समान क्रय-विक्रय वाली रख रहे हैं। पिछले कुछेक दिनों में डालर के समक्ष रुपये में एक ही दिन में 50 से लेकर 80 पैसे तक की व्यापक उछाल देखने में आई है। यह अनियंत्रित उछाल व्यापक रूप से डालर के समक्ष यूरों में आई हड़बड़ीपूर्ण गिरावट के कारण आया। डालर में निवेश के प्रति झुकाव के परिणामस्वरूप अधिकांश मुद्राएं (एशियाई मुद्राओं सहित) वैध अमरीकी मुद्रा (greenback) के समक्ष कमजोर पड़ गईं। विशिष्ट रूप से रुपया-डालर विनिमय दर में जब कभी इतनी बड़ी मात्रा में अस्थिरता आती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उन मिलियनों डालरों को आलोडित (unload) करना आरंभ कर देता है, जो उसने अपने आरक्षित भण्डार में रखा है। हालांकि, इस दौर में भारतीय रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप अत्यधिक मंद रहा है। विदेशी मुद्रा के व्यापारी यह महसूस करते हैं कि चूंकि डालर वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के समर्थन में हस्तक्षेप न करने का विकल्प अपनाया है।

बीमा

कृत्रिमता से बचें, सरल भाषा का प्रयोग करें : इर्डा ने बीमाकर्ताओं से कहा

बीमा उत्पादों को सुस्पष्ट बनाने और सूचनात्मक अंतरों को भरने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमाकर्ताओं से समझने में आसान भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कहना है कि "बीमाकर्तओं को यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIPs) जैसी उत्पादों की नयी किस्मों की शुरूआत करते समय मुख्य विशेषताओं वाले प्रलेखों को ध्यान में रखना चाहिए। इस अवसर से उद्भूत प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा पाकर बाज़ार में नये उत्पादों का अंबार लग गया है। इससे संभाव्य और पॉलिसीधारकों के मन में सूचना की उपलब्धता के बारे में नयीं चिंताएं उठ खड़ी हुई हैं।" विनियामक ने यह भी कहा है कि "हालांकि शिक्षित जनसंख्या भी जटिल कानूनी भाषा को नहीं

समझती। इसप्रकार उत्पाद से सम्बन्धित सूचना का सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को विविध प्रकार के उत्पादों की प्रमुख विशेषताओं से सम्बन्धित प्रलेखों को सरल भाषा में प्रकाशित करवाना चाहिए। इस प्रलेख को वही कानूनी स्वीकृति प्राप्त होगी, जो एक व्यापक नीतिगत प्रलेख को प्राप्त होती है।"

बीमाकर्ता सहयोगियों के साथ संपन्न कीमत सम्बन्धी सौदों को बनाए रख सकते हैं

बीमा कम्पनियों के ऐसे प्रवर्तकों को, जिन्होंने अपने विदेशी भागीदारों के साथ इक्विटी को नियत मूल्य पर बेचने के सौदे कर रखे हैं, अब संविदा से चिपके रहने की सुविधा प्राप्त होगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इक्विटी शेयरों से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी दिशानिर्देश बीमा कम्पनियों पर नहीं लागू होंगे। इस सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की भारतीय कम्पनियों पर लागू होंगे। हालांकि, उक्त परिपत्र के प्रावधान बीमा क्षेत्र पर पूर्ववत नहीं लागू होंगे।

पूंजी बाज़ार

यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को मुद्रा वायदा सौदे आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति मिली

देश का सबसे नया शेयर बाज़ार, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज (USE) आगामी माह से अपने प्लेटफार्म पर मुद्रा वायदों में लेनदेन की शुरूआत करने जा रहा है। यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री टी.एस. नारायणस्वामी ने ने कहा है कि "एक्सचेंज को मुद्रा वायदों का लेनदेन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है और उक्त विदेशी मुद्रा बाजार जुलाई के मध्य तक सक्रिय रूप से कार्य आरंभ करने वाला है।" राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) और बहु-जिंस शेयर बाज़ार (MVX-SX) के बाद यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज रुपया बनाम डालर, यूरो, येन और ब्रिटिश पौंड सहित चार मुद्रायुग्मों में लेनदेन करने वाला तीसरा शेयर बाज़ार हो जाएगा। श्री नारायणस्वामी के अनुसार यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के प्रवेश से चलनिधि में बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि इसके निदेशक मण्डल में 27 बैंकों का समावेश है, "जो प्लेटफार्म पर स्वामित्वपूर्ण स्थिति अपनाते हुए अपनी पूरी शक्ति से" योगदान कर सकते हैं।

पारस्परिक निधियां

जून 2010 से पारस्परिक निधि उत्पाद केवल प्रमाणित एजेन्टों द्वारा ही बेचे जा रहे हैं : सेबी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने घोषणा की है कि पारस्परिक निधि वितरकों और एजेन्टों के लिए अब पॉलिसियां बेचने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (NISM) का प्रमाणपत्र रखना आवश्यक होगा। 1 जून से सम्बद्ध व्यक्ति अर्थात् वितरकों, एजेन्टों अथवा पारस्परिक निधि उत्पादों को बेचने में संलग्न किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान से वैध प्रमाणन रखना आवश्यक होगा। उक्त मुहिम का आशय निवेशकों को गुणवत्तापरक सेवाओं के प्रति आश्वस्त करना तथा गलत बिक्री को रोकने हेतु असंगठित खण्ड को अपने पाश मे लाना लगता है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक ने 239 बिलियन डालर की और बैंक हानि की चेतावनी दी

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) ने यह चेताचनी दी है कि यूरो क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय संकट के कारण आगामी 18 माह के भीतर संभाव्य ऋणगत हानियों की दूसरी लहर में 195 बिलियन यूरो (239 बिलियन डालर) तक की हानि उठानी पड़ सकती है। उसने यूरो क्षेत्र के सरकारी बॉण्डों की अपनी अधिक खरीदियों को भी प्रकट किया है। चूंकि यूरो ने हानियों की क्षतिपूर्ति कर ली, किन्तु स्पेन की ऋण रेटिंग में कटौती के बाद सुरक्षात्मक रुख अपनाए रखा और चीन ने यह चेतावनी दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सावरिन ऋण जोखिमों से असुरक्षित है। स्पेन ने निवेशकों को यह आश्वासन दिया कि वह नियोजकों और ट्रेड यूनियनों के सहमत न होने के बावजूद अपने कठोर श्रम कानूनों में सुधार लाएगा।

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक ने यह स्वीकार किया है कि यूरो क्षेत्र के ऋण सम्बन्धी तनाव उसे वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की सहायता करने हेतु तैयार किए गए सस्ते उधारदात्री परिचालनों को समाप्त करने पर विवश कर सकते हैं। सितम्बर, 2008 में लेहमान ब्रदर्स के विफल हो जाने के बाद यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक ने यूरो क्षेत्र के बैंकों को अंतर-बैंक उधारदात्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने और वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण प्रवाह बनाए रखने के अभियान के तहत असीमित, सपाट दर वाले ऋण प्रदान करना आरंभ कर दिया। यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक की शासी परिषद के सदस्य और जर्मनी के शक्तिशाली बैंक बंडसबैंक के अध्यक्ष श्री अलेक्स वेबर ने बॉण्ड खरीदी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक कठोर सीमा का आह्वान किया तथा कहा कि यूरो क्षेत्र के ऋण संकट से निपटने के लिए किए जाने वाले असाधारण उपाय मूल्य स्थिरता के समक्ष एक जोखिम उपस्थित कर देते हैं।

नयी नियुक्तियां

श्री भट्ट ने भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भट्ट ने भारतीय बैंक संघ (IBA) के नये अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चार वर्षों के बाद यह अवसर आया है जब देश के सबसे बड़े बैंक का अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ की भी पतवार संभालेगा।

आईसीआईसीआई बैंक के नये कार्यपालक निदेशक

आईसीआईसीआई बैंक ने श्री राजीव सभरवाल को बैंक के एक पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री सभरवाल को 24 जून, 2010 से कार्यपालक निदेशक (ED) के रूप में पदनामित किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

विजया बैंक, यूनाइटेड इंडिया के बीच समझौता

विजया बैंक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ने बेंगलूर स्थित उधारदाता की शाखाओं में यूनाइटेड इंडिया के बीमा उत्पादों को बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। विजया बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा प्रदत्त सूचना के अनुसार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के सामान्य बीमा उत्पादों का विजया बैंक की 1,160 शाखाओं के माध्यम से विपणन किया जाएगा।

बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल-आधारित विप्रेषण-सुविधा

बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने हाल ही में कारबार संपर्कियों (BCs) के माध्यम से मोबाइल-आधारित विप्रेषण-सुविधा की शुरूआत की है, जिसके द्वारा विप्रेषक अपने सम्बन्धियों को मोबाइल फोनों पर विप्रेषण भेज सकते हैं। प्राप्तकर्ता अपनी धनराशि को बैंक द्वारा नियुक्त कारबार संपर्कियों से एकत्रित कर सकते हैं। बैंक ने 15, 000 कारबार संपर्की नियुक्त करने की योजना बना रखी है तथा वह 1 करोड़ बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को अपनी परिधि में लाने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए उसे आगामी तीन वर्षों में लगभग 30, 000 गावों तक पहुंचना होगा। उसने अनुमानित रूप से 66 लाख परिवारों को 11, 500 करोड़ रुपये के ऋण परिव्यय तथा समूह बीमा योजना के तहत खाताधारकों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।

करूर वैश्या बैंक ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के साथ गंठजोड़ किया

करूर वैश्या बैंक (KVB) ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) के साथ यूटीआई के पारस्परिक निधि उत्पादों का अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से वितरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। करूर

वैश्या बैंक एक ही छत के नीचे वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहा है तथा वह इसके पहले भी छ: अन्य अग्रणी पारस्परिक निधियों के पारस्परिक निधि उत्पादों का विपणन कर रहा है।

लक्ष्मी विलास बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गंठजोड़ किया

लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) ने बैंकबीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ एक रणनीतिक भागीदरी करार किया है। इस गंठजोड़ से भारत भर में स्थित बैंक के ग्राहकों को भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यापक श्रेणी वाले उत्पादों तक पहुंच की सुविधा प्राप्त होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के कारपोरेट एजेन्ट के रूप में अब लक्ष्मी विलास बैंक ग्राहकों को भारतीय जीवन बीमा निगम के सर्वोत्तम श्रेणी वाले उत्पाद उपलब्ध कराएगा।

संस्थान समाचार

सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

संस्थान दिसंम्बर, 2010 और उसके बाद से सीएआईआईबी परीक्षा के लिए आशोधित रूपरेखा को कार्यान्वित करेगा। इस उद्देश्य के लिए संस्थान ने अपने सभी हितधारकों से परामर्श करते हुए सीएआईआईबी परीक्षा के पाठ्यक्रम को सशोधित एवं पुनर्संरचित कर दिया है।

संशोधित (2010) पाठ्यक्रम

नई सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों को दो अनिवार्य प्रश्नपत्र और एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र लिखने होंगे। अनिवार्य प्रश्नपत्र एवं चयनात्मक प्रश्नपत्र की सूची इसके नीचे दी गई है। ग्यारह चयनात्मक प्रश्नपत्रों में से अभ्यर्थी को एक चयनात्मक प्रश्नपत्र को चुनना होगा।

I अनिवार्य प्रश्नपत्र

1. उन्नत बैंक प्रबन्धन
2. बैंक : वित्तीय प्रबन्धन

II. वैकल्पिक प्रश्नपत्र

1. कारपोरेट बैंकिंग

2. ग्रामीण बैंकिंग
3. अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग
4. खुदरा (रिटेल) बैंकिंग
5. सहकारी बैंकिंग
6. वित्तीय परामर्शन
7. मानव संसाधन प्रबन्धन
8. सूचना प्रौद्योगिकी
9. जोखिम प्रबन्धन
10. केन्द्रीय बैंकिंग
11. खज़ाना (ट्रेज़री) प्रबन्धन

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, ताकि वह विशेषत: विषम स्तर पर आधारित बैंकिंग परिचालनों के युग में आधुनिक बैंकिंग के कार्यात्मक-परिवेश तथा बैंकों के एसबीयूस (SBUs) से प्रासंगिक हो।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, परीक्षा के नियमों से सम्बन्धित विवरण http: / / www.iibf.org.in पर देखे जा सकते हैं।

अनिवार्य और चयनात्मक विषयों की पाठ्यसामग्री मुद्रणाधीन है तथा वह जुलाई, 2010 के अंत तक प्रकाशित होगी। उक्त पाठ्यसाग्री का हिन्दी में अनुवाद कार्य प्रगति पर है तथा उचित समय पर अभ्यर्थीगण उसे संस्थान के पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।

जनवरी 2010 की परीक्षा

संशोधित पाठ्यक्रम दिसम्बर 2010 / जनवरी 2011 की परीक्षा से लागू किया जा रहा है। अतएव (क) सीएआईआईबी परीक्षा के लिए पहली बार नाम दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों और (ख) सीएआईआईबी परीक्षा के लिए नाम दर्ज कराने के इच्छुक अर्थात् चार (4) अनुमेय क्रमिक प्रयासों की सुविधा का उपयोग कर लेने के उपरांत तथा परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले अभ्यर्थियों, दोनों ही को अपने आवेदन संशोधित (2010) पाठ्यक्रम के तहत प्रस्तुत करने होंगे। ये अभ्यर्थी पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वास्तव में संस्थान पुराने प्रतिमान के अधीन कोई आवेदन नहीं स्वीकार करेगा। तदनुसार पुराने प्रतिमान वाली परीक्षा दिसम्बर, 2011 के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने दिसम्बर, 2009 की सीएआईआईबी परीक्षा हेतु नाम दर्ज करवाया था तथा जून, 2010 में सीएआईआईबी परीक्षा में अब तक किसी भी प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण हुए बिना दो प्रयास कर चुके हैं, को पुराने पाठ्यक्रम के तहत दो प्रयासों के दूसरे खंड (ब्लॉक) के लिए नाम दर्ज करवाने के बजाय नये पाठ्यक्रम के तहत आवेदन करने पर विचार करना चाहिए।

पुराने पाठ्यक्रम के तहत सीएआईआईबी परीक्षा के लिए पहले से नाम दर्ज करवा चुके अभ्यर्थियों के लिए :

-परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु चार क्रमिक प्रयासों की वर्तमान समय-सीमा जारी रहेगी।

-हालांकि, अभ्यर्थीगण चार (4) अनुमेय क्रमिक प्रयासों की सुविधा का लाभ उठाने के पहले भी संशोधित पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं।

-अभ्यर्थियों को पुराने पाठ्यक्रम के तहत उत्तीर्ण विषय / यों यदि कोई हो, के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरी तरह पुनरीक्षित और पुनर्संरचित कर दिया गया है।

-नवम्बर, 2010 से पुराने पाठ्यक्रम के लिए किसी भी नये अभ्यर्थी का नाम नहीं दर्ज किया जाएगा। नये अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक रूप से केवल संशोधित पाठ्यक्रम हेतु ही नाम दर्ज करवाना होगा।

जिन्होंने पहले ही सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए

निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से सीएआईआईबी हैं, अपनी पसंद के चयनात्मक विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उस विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त अभ्यर्थी को उस विशिष्ट चयनात्मक विषय पर सीएआईआईबी के पश्चात् वाली योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हालांकि, चूंकि सभी चयनात्मक प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक-साथ संचालित होगी, अभ्यर्थीगण एक बार में केवल एक ही चयनात्मक प्रश्नपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय के बाद संस्थान ऐसी अतिरिक्त अर्हताओं को अभ्यर्थियों को अपनी सहयोगी सदस्यता (Associate membership) प्रदान किए जाने हेतु सम्बद्ध करेगा।

पाठ्यक्रम, आवेदन पत्र और परीक्षा की तिथियों आदि से सम्बन्धित विवरण के लिए http : / / www.iibf.org.in. देखें।

आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

चौथा आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान संस्थान द्वारा 28 जुलाई, 2010 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 में आयोजित किया जाएगा। उक्त व्याख्यान डॉ. राकेश मोहन द्वारा दिया जाएगा और उसकी विषयवस्तु होगी :"दि फ्यूचर ऑफ फाइनैन्सियल रेग्यूलेशन : सम रिफ्लेक्शन्स"।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

वितीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

आधार दर

वर्ष 2003 से प्रचलन में रही ऋणों एवं अग्रिमों पर बेंचमार्क मूल उधार से सम्बद्ध दरे लागू किए जाने का अभीष्ट उधार दरों के सम्बन्ध में पारदर्शिता लाना था। हालांकि, पिछले वर्षों में बैंकों ने विभिन्न कारणों से बेंचमार्क मूल उधार दर से काफी कम पर उधार देना आरंभ कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 1 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली को अपनाने की सलाह दी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि बैंकों को अल्पावधिक कृषि ऋणों, निर्यात ऋण, जिनमें भारत सरकार द्वारा ब्याजगत रियायतें प्रदान की जाती हैं और किसी कम्पनी को उसकी पुनर्संचना के बाद मंजूर किए जाने वाले ऋणों जैसी कुछेक विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में उनकी घोषित आधार दर से कम दरों पर उधार देने से निषिद्ध किया गया है। अन्य छूटों में विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋणों, बैंकों की स्वयं अपनी सावधि जमा रसीदों पर अग्रिमों तथा बैंकों के स्वयं अपने कर्मचारियों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों का समावेश है। आधार दर की गणना करने के लिए संघटकों की संख्या भी बेंचमार्क मूल उधार दर को लागू होने वाले संघटकों की अपेक्षा कम कर दी गई है और उनमें जमाराशियों / निधियों की लागत, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और आरक्षित चलनिधि अनुपात (SLR) की आरक्षित निधियों पर नकारात्मक प्रभार (carry), अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत तथा निवल मालियत पर औसत प्रतिलाभ का समावेश होता है। इसके साथ ही बैंकों को आधार दर की गणना करने के लिए ऐसी किसी भी अन्य कार्यप्रणाली को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, जो पारदर्शी हो और सार्वजनिक रूप से प्रकटित हो। पहले छ: महीनों के दौरान अर्थात् 31/12/2010 के पहले, बैंकों को कार्यप्रणाली को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारित कर लिए जाने के बाद इस दर की कम से कम तिमाही अंतरालों पर समीक्षा की जानी है। बैंकों को ऋणों एवं अग्रिमों पर उनकी वास्तविक उधार दरों का निर्धारण उक्त आधार दर के संदर्भ में तथा ऐसे ग्राहक विशिष्ट प्रभारों को शामिल करते हुए करना होगा, जिन्हें उपयुक्त समझा जाए।

शब्दावली

सरकारी अनुदान (Subvention)

किसी सरकार द्वारा यथा प्रदत्त धर्मादा या आर्थिक सहायता। निधियों की लागत में ब्याज अथवा भार निहित होता है। सरकारी अनुदान एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा सरकार विशिष्ट राहत अथवा संवर्धन के लिए इस भार के एक अंश को अवशोषित कर लेती है।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर

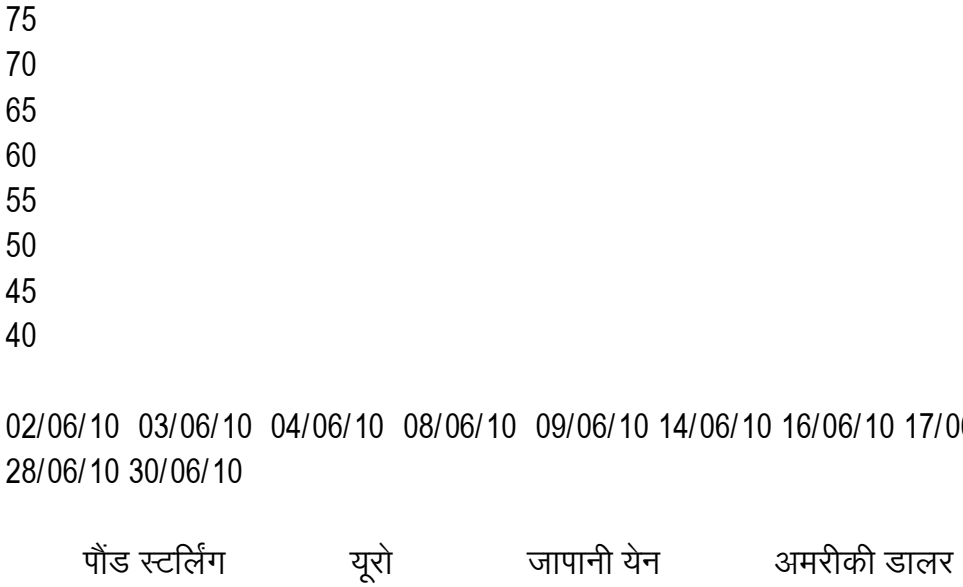

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- अमरीकी डालर, यूरो और जापानी येन के समक्ष रुपया केवल मामूली उतार-चढ़ावों के साथ सीमा-बद्ध रहा।
- 8 जून को 47.28 रुपये के न्यून स्तर पर पहुंचने के बाद माह के दौरान डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में 0.19% की वृद्धि हुई।

- हालांकि, रुपये के मुकाबले पौंड-स्टर्लिंग मज़बूत हुए तथा माह के अंत में 70.07 रुपये पर बंद हुए।

भारित औसत मांग दर

5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20

01/06/10 02/06/10 04/06/10 05/06/10 08/06/10 10/06/10 12/06/10 14/06/10 15/06/10 18/06/10 21/06/10 22/06/10 25/06/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, जून, 2010

- अधिकांश दिनों में मांग दरें 5% से कुछ अधिक के आसपास मंडराती रहीं।
- चलनिधि की सहज स्थिति के कारण 5 दिन दरें 5% से कम पर दिखाई पड़ीं।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जुलाई, 2010